

गाँव गरीबी उन्मूलन परियोजना प्रारूप

समूह स्तरीय डाटा एकत्रीकरण प्रारूप

समूह स्तर का डाटा दो भागों में एकत्र किया जाता है

अ.हकदारी योजना

ब. आजीविका योजना

1. हकदारी योजना डाटा एकत्र प्रारूप

1	मनरेगा (MGNREGA)
1.1	मनरेगा- जॉब कार्ड
1.2	मनरेगा- कार्य की मांग
1.2.1	मनरेगा – व्यक्तिगत कार्य की मांग
1.2.2	मनरेगा – सामुदायिक कार्य की मांग
2	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
2.1	वृद्धावस्था पेंशन (Old age Pension)
2.2	विधवा पेंशन (Widow Pension)
2.3	विकलांग पेंशन (Disability Pension)
3	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)
4	स्वास्थ्य कार्ड (Health Card)
5	उज्ज्वला योजना (LPG)
6	राशन कार्ड (Ration Card)
7	प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
8	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
9	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
10	प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY)

1. मनरेगा

1.1 मनरेगा जॉब कार्ड

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्राम संगठन का नाम:	ग्राम पंचायत का नाम:
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

प्रशिक्षक हेतु (Facilitator's note) :

1. कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण लिखें जो नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन देना चाहते हैं।
2. 'लाभार्थियों के नाम' के कॉलम में (प्राथमिकता के क्रम में) : कृपया पात्रता रखनेवाले स्वयं सहायता समूह के सदस्य का नाम भरें, जिसे नया जॉब कार्ड चाहिए। नाम को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें। सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियां प्राथमिकता के क्रम में इस तरह से हों कि कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
3. योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों के पास राशन कार्ड जैसी पहचान का वैध प्रमाण होना चाहिए।
4. परिवार के 'घर के मुखिया का नाम' के कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के पिता / पति / मुखिया का नाम भरें।
5. 'वार्ड संख्या और नाम' के कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान की वार्ड संख्या और उसका नाम भरें।

1.2 मनरेगा कार्य की मांग

1.2 .1 मनरेगा कार्य की मांग - व्यक्तिगत कार्य की मांग

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्राम संगठन का नाम:		ग्राम पंचायत का नाम:		
क्रम संख्या	कार्य का नाम	माँगे गए कार्य का विवरण	लाभार्थी का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						

मनरेगा व्यक्तिगत कार्य की मांग प्रारूप को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:

कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो MGNREGS के तहत काम की मांग करना चाहते हैं।

प्रशिक्षक को व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों के लिए राज्य की स्वीकार्य कार्य सूची (State permissible work list) का उल्लेख करना चाहिए। मांगे गए कार्य राज्य की स्वीकार्य कार्य सूची (State permissible work list) के आधार पर होनी चाहिए।

1. 'कार्य का नाम' कॉलम में : लाभार्थी द्वारा मांगे जाने वाले काम का नाम भरें। उदाहरण के लिए, कैटल शेड, पोल्ट्री शेड आदि।

2. 'माँगे गए कार्य का विवरण' कॉलम में: कृपया कार्य का प्रकार, कार्य का स्थान आदि का विवरण भरें। उदाहरण के लिए: शमू किराना की दुकान, वार्ड 6 के पीछे, सीता के घर पर कैटल शेड।

3. 'लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)' कॉलम में : कृपया उस पात्र समूह सदस्य का नाम भरें जिसने मनरेगा के काम की मांग की है। नाम को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखना होगा। सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए, जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता दी जाए है।

4. 'घर के मुखिया का नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/ पिता / पति का नाम भरें।

5. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
6. 'प्राथमिकता के अनुसार' कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्र करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ा जाए।

1.2 .2 मनरेगा कार्य की मांग - सामुदायिक कार्य की मांग

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्राम संगठन का नाम:		ग्राम पंचायत का नाम:	
क्रम संख्या	कार्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	माँगे गए कार्य का विवरण	माँगे गए कार्य की वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)	
1					
2					

मनरेगा सामुदायिक कार्य मांग प्रारूप को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट :

कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो MGNREGS के तहत कार्य की मांग करना चाहते हैं। प्रशिक्षक को व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों के लिए राज्य की स्वीकार्य कार्य सूची (State permissible work list) का उल्लेख करना चाहिए। मांगे गए कार्य राज्य की स्वीकार्य कार्य-सूची के आधार पर होने चाहिए।

- 1) सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए, जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता दी जाती।
- 2) 'कार्य का नाम' के कॉलम में (प्राथमिकता के क्रम में) : कृपया मांगे गए सामुदायिक कार्यों के नाम प्राथमिकता के क्रम में भरें।
- 3) 'मांगे गए कार्य के विवरण' के कॉलम में : कृपया कार्य का प्रकार, कार्य का स्थान आदि का विवरण भरें।
- 4) 'मांगे गए कार्य की वार्ड संख्या और नाम' के कॉलम में : मांगे गए कार्य के स्थान का वार्ड नाम और संख्या भरें।
- 5) 'प्राथमिकता के अनुसार' के कॉलम में: यह कॉलम ग्राम पंचायत (GP) स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्रित करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ा जाए।

2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम -NSAP* (पेंशन)

*यहाँ केवल तीन पेंशनों का उल्लेख है, यदि राज्य में कोई अन्य योजना है तो उसके अनुसार कॉलम को बढ़ाया जा सकता है

2.1 वृद्ध पेंशन

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्रम संगठन का नाम:		ग्राम पंचायत का नाम:	
क्रम संख्या	SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं (प्राथमिकता के क्रम में)	SHG सदस्य का नाम	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1					
2					

2.2 विधवा पेंशन

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्रम संगठन का नाम:		ग्राम पंचायत का नाम:	
क्रम संख्या	SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं (प्राथमिकता के क्रम में)	SHG सदस्य का नाम	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1					
2					

2.3 विकलांगता पेंशन

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्राम संगठन का नाम:	ग्राम पंचायत का नाम:	
क्रम संख्या	SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं	SHG सदस्य का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1				
2				

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) प्रारूप को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:

1. कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो पेंशन के पात्र हैं।
2. NSAP घरेलू स्तर का डाटा है जिसमें योग्य परिवार के सदस्यों का नाम स्वयं सहायता समूह सदस्य / परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के पात्र हैं कॉलम में जोड़ा जा सकता है।।
3. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में बनाया जाए, जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिलती है।
4. स्वयं सहायता समूह सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में) जो पेंशन के योग्य हैं कॉलम में : कृपया लाभार्थी का नाम भरें। लाभार्थी या तो स्वयं सहायता समूह का कोई सदस्य या उसके परिवार का कोई योग्य सदस्य हो सकता है। लाभार्थियों का नाम प्राथमिकता क्रम में लिखें।
5. स्वयं सहायता समूह सदस्य के नाम के कॉलम में : पिछले कॉलम (पेंशन पाने योग्य SHG सदस्य/परिवार के सदस्य का नाम) में जिस लाभार्थी का नाम भरा गया है उससे संबंधित समूह सदस्य का नाम भरें ।
6. घर के मुखिया के नाम के कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया /पिता / पति / का नाम भरें।
7. वार्ड संख्या और नाम के कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें

8. प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्र करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए

3. स्वच्छ भारत अभियान (SBM)

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्राम संगठन का नाम:		ग्राम पंचायत का नाम:	
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	नया शौचालय / मरम्मत	
1					
2					

प्रशिक्षक के नोट:

कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो SBM के पात्र हैं और इससे पहले किसी भी सरकारी योजनाओं के तहत IHHL प्राप्त नहीं किया है

1. SBM घरेलू स्तर का डाटा है जहां एक घर को एक शौचालय मिलता है।
2. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए, जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
3. **लाभार्थी के नाम** कॉलम में (प्राथमिकता के क्रम में): कृपया उस योग्य SHG सदस्य का नाम भरें जो SBM की मांग कर रहा है। कृपया नामों को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
4. **घर के मुखिया का नाम** कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/पिता / पति का नाम भरें।
5. **समूह का नाम** कॉलम में : कृपया लाभार्थी के समूह का नाम भरें।
6. **वार्ड संख्या और नाम** कॉलम में : लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें
7. **नए शौचालय / मरम्मत** कॉलम में : कृपया भरें कि क्या लाभार्थी एक नया शौचालय चाहता है या मरम्मत की मांग कर रहा है।

यदि राज्य IHHL की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, तो उस विकल्प को छोड़कर सिर्फ नयी मांग को भरें

4. स्वास्थ्य कार्ड (आयुष्मान भारत/राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य कार्ड)

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्रम संगठन का नाम:	ग्राम पंचायत का नाम:
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

5. उज्ज्वला योजना (LPG कनेक्शन)

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्रम संगठन का नाम:	ग्राम पंचायत का नाम:
क्रम संख्या	लाभार्थियों के (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

6. राशन कार्ड

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्रम संगठन का नाम:	ग्राम पंचायत का नाम:
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

7. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना –सौभाग्य

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्राम संगठन का नाम:		ग्राम पंचायत का नाम:	
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम		
1					
2					

स्वास्थ्य कार्ड / उज्ज्वला / राशन कार्ड / सौभाग्य कनेक्शन विवरण भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट :

1. कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो नए स्वास्थ्य कार्ड / उज्ज्वला / राशन कार्ड / सौभाग्य कनेक्शन के लिए आवेदन करना चाहते हैं
2. स्वास्थ्य कार्ड / उज्ज्वला / राशन कार्ड / सौभाग्य घरेलू स्तर की योजनाएं हैं, इसलिए प्रति परिवार एक योग्य सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा जा सकता है।
3. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए , जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिलती है।
4. 'लाभार्थी के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)' के कॉलम में: कृपया पात्र समूह सदस्य का नाम भरें, जिसे नए हेल्थ कार्ड / उज्ज्वला / राशन कार्ड / सौभाग्य कनेक्शन की आवश्यकता हो। कृपया नामों को प्राथमिकता के क्रम में लिखें।
5. 'घर के मुखिया का नाम' कॉलम में: कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया /पिता / पति का नाम भरें।
6. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान का वार्ड संख्या और नाम भरें ।

8. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

स्वयं सहायता समूह का नाम :			ग्राम संगठन का नाम:			ग्राम पंचायत का नाम:		
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)				वार्ड संख्या और नाम			
1								
2								

9. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

स्वयं सहायता समूह का नाम :			ग्राम संगठन का नाम:			ग्राम पंचायत का नाम:		
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)				वार्ड संख्या और नाम			
1								
2								

PMSBY/PMJJBY विवरणों को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:

1. कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें, जो नए PMSBY / PMJJBY के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
2. PMSBY / PMJJBY व्यक्तिगत स्तर की योजनाएं हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति लाभ का हकदार है।
3. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
4. 'लाभार्थी का नाम' के कॉलम में : कृपया समूह के योग्य सदस्य का नाम भरें, जिसे PMSBY / PMJJBY की आवश्यकता है। कृपया नामों को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
5. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।

10. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्राम संगठन का नाम:	ग्राम पंचायत का नाम:	
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1				
2				

PMAY-G विवरण भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:

1. कृपया केवल उन्हीं व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो नए PMAY-G के लिए आवेदन करना चाहते हैं
2. PMAY-G घरेलू स्तर की योजनाएं हैं, इसलिए प्रति परिवार एक योग्य सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा जा सकता है।
3. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
4. 'लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)' कॉलम में : कृपया समूह के योग्य सदस्य का नाम भरें, जिसे नए PMAY-G की आवश्यकता है। कृपया नाम प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
5. 'घर के मुखिया का नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/पिता / पति का नाम भरें।
6. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
7. 'प्राथमिकता के लिए दर्जा' कॉलम में: यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्रित करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ा गया हो।

10. *कोई अन्य योजना (कृपया योजना का नाम यहाँ लिखें)

स्वयं सहायता समूह का नाम :				ग्राम संगठन का नाम:				ग्राम पंचायत का नाम:			
क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)			घर के मुखिया का नाम			वार्ड संख्या और नाम				
1											
2											

*अगर हकदारी योजना में राज्य सरकार की कोई योजना शामिल की जाती है तो इस टेबल का प्रयोग SHG सदस्यों का विवरण इकट्ठा करने में हो सकता है।

SHG के मुखिया की मुहर और हस्ताक्षर

B. आजीविका का आंकड़ा एकत्रित करने हेतु सूचि का प्रारूप

1	खेती
1.1	व्यक्तिगत खेती
1.2	सामूहिक खेती
2	पशुपालन
2.1	पशुपालन -व्यक्तिगत
2.2	पशुपालन -समूह
3	सूक्ष्म उद्यम
3.1	व्यक्तिगत सूक्ष्म
3.2	सामूहिक सूक्ष्म उद्यम

1. खेती

टेबल 1: खेती में मदद के प्रकार की सूची:

क्रम संख्या	मदद के प्रकार
1.	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
2	उपकरणों के लिए सब्सिडी और ऋण के रूप में सिंचाई में मदद
3.	सब्सिडी के रूप में बीज वितरण, खाद और उर्वरकों में मदद
4.	बाजार तक पहुँच और विपणन में मदद
5.	गुणवत्ता वाले बीज / उर्वरक / जैविक खाद / एजोला / पौधे / अंकुर / जैसे इनपुट औषधीय पौधे / बाड़ आदि।
6.	यंत्रिकृत कृषि उपकरण / औजार - पावर टिलर, मोटर पंप, वीडर, स्प्रेयर, श्रेशर इत्यादि।
7.	बोरवेल, लिफ्ट सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, सिंचाई चैनल, पाइप, तालाब आदि।
8.	कोल्ड स्टोरेज / गोदाम / शीतलन संयंत्र / पंप हाउस
9.	वर्मी कम्पोस्ट / नाडेप पिट
10.	ड्राइइंग प्लेटफार्म
11.	उत्पादन, प्रचार और ब्रांडिंग समर्थन, बाजार लिंकेज, आयोजन का प्रमाणन मेलों
12.	विशिष्ट फसल की खेती, एक्सपोजर विजिट के लिए प्रशिक्षण
13.	फसल बीमा
14.	सेरीकल्चर, बागवानी और वानिकी रोपण संबंधित इनपुट और उपकरण

ध्यान दें कि ऊपर जिस तरह के मदद का ज़िक्र हुआ है वे आम तरह के हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में आजीविका की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध मदद की विशिष्ट सूची भी हो सकती है। राज्य उस राज्य-विशेष के लिए एक विशिष्ट सूची तैयार कर सकते हैं और इसे उन प्रतिभागियों / सुविधाओं / संवर्गों के बीच प्रसारित कर सकते हैं जो क्षेत्र के लिए नियोजन अभ्यास की सुविधा प्रदान करेंगे।

खेती से संबंधित मांगों पर ग्राम पंचायत / स्थानीय निकायों की निधियों के साथ-साथ नीचे उल्लिखित विभिन्न विभागों की उपलब्ध योजनाओं के तहत गौर किया जा सकता है:

क्रम संख्या	विभाग का नाम
1.	कृषि विभाग
2	बागवानी विभाग
3.	भूमि, मृदा और जल संरक्षण विभाग
4.	सिंचाई विभाग
5.	रेशमकीट पालन विभाग

1.1 व्यक्तिगत खेती

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्राम संगठन का नाम:		ग्राम पंचायत का नाम:		
क्रम संख्या	SHG सदस्यों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	स्वयं की भूमि / पट्टे की भूमि पर खेती	किस प्रकार की मदद चाहते हैं	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						

व्यक्तिगत खेती के लिए प्रशिक्षक के नोट:

- सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
- 'SHG सदस्य का नाम' के कॉलम में : कृपया समूह सदस्यों के नाम भरें, जो व्यक्तिगत खेती पद्धतियों में रुचि रखते हैं। कृपया नाम को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
- 'घर के मुखिया का नाम' कॉलम में: कृपया लाभार्थी के घर के पिता / पति / मुखिया का नाम भरें।
- 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : कृपया SHG सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
- 'स्वयं की भूमि / पट्टे की भूमि' पर खेती कॉलम में : यदि SHG के सदस्य अपनी या अपने परिवार के स्वामित्व वाली भूमि पर खेती करना चाहते हैं, तो इसमें "अपनी भूमि" लिखें। और अगर SHG के सदस्य पट्टे की ज़मीन पर खेती करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें किराया देना है, तो "पट्टे पर दी गई" लिखिए।

6. 'किस तरह के मदद की ज़रूरत है' कॉलम में : किसी खास मांग के लिए SHG के सदस्य किस प्रकार की मदद चाहते हैं, इसका उल्लेख करें। उन्हें एक से अधिक तरह की मदद की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, फसलों के प्रकार, कृषि सब्सिडी, वित्तीय ऋण, विशेष प्रशिक्षण, आदि (संदर्भ टेबल 1)

7. 'प्राथमिकता के अनुसार' कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्रित करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

1.2 सामूहिक खेती

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्राम संगठन का नाम:		ग्राम पंचायत का नाम:		
क्रम संख्या	समूह में SHG सदस्यों की संख्या	समूह के SHG सदस्यों के नाम और सदस्यों के SHG के नाम	समूह में किसी एक SHG सदस्य के वार्ड का नाम और संख्या	स्वयं की भूमि / पट्टे की भूमि पर खेती	किस प्रकार की मदद चाहते हैं	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						

सामूहिक खेती के लिए प्रशिक्षक के नोट हेतु:

यह SHG के उन सदस्यों के लिए है जो सामूहिक खेती करना चाहते हैं। इस समूह में SHG के तीन या उससे ज्यादा सदस्य जुड़ सकते हैं।

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
2. **समूह सदस्य का नाम कॉलम में:** कृपया किसी एक खास समूह में SHG सदस्यों की संख्या भरें।
3. **समूह के SHG सदस्यों के नाम और सदस्यों के SHG के नाम कॉलम में:** कृपया समूह के सभी SHG सदस्यों के नाम लिखें। उदाहरण के लिए : अगर 3 SHG के सदस्य खेती के लिए समूह बनाना चाहते हैं तो उन तीनों सदस्यों का नाम लिखें। उनके नाम के आगे कोष्ठक में उनके SHG का नाम लिखें।
4. किसी एक SHG सदस्य की **वार्ड संख्या और उसका नाम कॉलम में:** कृपया समूह सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
5. **स्वयं की भूमि / पट्टे पर दी गई भूमि** पर खेती कॉलम में : अगर समूह ऐसी ज़मीन पर खेती करना चाहता है जो समूह के किसी सदस्य या परिवार के किसी सदस्य की है तो कृपया "अपनी ज़मीन" लिखें; और अगर समूह पट्टे की जमीन पर खेती करना चाहता है, जिसके लिए उसे किराया देना है, तो "पट्टे पर दी गई जमीन" लिखिए।
6. **मदद के प्रकार** कॉलम में : किसी खास माँग के लिए SHG के सदस्यों को किस तरह की मदद चाहिए इसका उल्लेख करें। एक से अधिक तरह के मदद की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, फसलों के प्रकार, कृषि सब्सिडी, वित्तीय ऋण, विशेष प्रशिक्षण, आदि **(संदर्भ टेबल 1)**
7. **प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में :** यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा।

सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटासंग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

2. पशुपालन

पशुपालन के लिए मदद के प्रकार की सूची:

क्रम संख्या	मदद के प्रकार
1	मछलियों / चूजों / बछड़ों, आदि और अन्य आदानों के लिए सब्सिडी
2	पशु चिकित्सा के लिए समर्थन
3	प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और विस्तार के लिए मदद
4	बाजार तक पहुँच और विपणन मदद
5	गुणवत्ता वाले पशुधन
6	टीके और दवाइयाँ
7	मुर्गी पालन / मधुमक्खी पालन / मत्स्य पालन के लिए उपकरण / इनपुट - वजन तराजू
8	पशुओं के लिए स्वास्थ्य शिविर
9	तालाब का जीर्णोद्धार / नया निर्माण
10	कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए मछली पकड़ने का जाल
11	मछली / मवेशी / मुर्गी / सुअर पालन प्रदान करना
12	पोल्ट्री शेड / कैटल शेड / बकरी शेड / सुअर शैली
13	चारे की खेती
14	टीकों और दवाओं के लिए मिनी-रेफ्रिजरेटर
15	उपज का प्रमाणन, ब्रांडिंग, बाजार की सुविधा, विपणन के लिए मेलों का आयोजन आदि
16	मिल्क चिलिंग प्लांट्स
17	काम शेड
18	पशु बीमा
19	शिष्ट पशुधन / छोटे जुगाली / मछली पालन के लिए प्रशिक्षण

ध्यान दें कि ऊपर जिस मदद का जिक्र हुआ है वे आम तरह के हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में आजीविका की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध मदद की राज्य-विशिष्ट सूची भी हो सकती है। राज्य अपने लिए राज्य-विशिष्ट सूची तैयार कर सकते हैं और इसे उन प्रतिभागियों / सुगमकर्ताओं / कैंडिड के बीच प्रसारित कर सकते हैं जो क्षेत्र के लिए नियोजन अभ्यास की सुविधा प्रदान करेंगे।

पशुपालन से संबंधित मांगों पर ग्राम पंचायत / स्थानीय निकायों की निधियों के साथ-साथ नीचे उल्लिखित विभिन्न विभागों की उपलब्ध योजनाओं के तहत गौर किया जा सकता है:

क्रम संख्या	विभाग का नाम
1.	पशुपालन विभाग
2	मतस्यपालन विभाग

2.1 पशुपालन – व्यक्तिगत

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्राम संगठन का नाम:		ग्राम पंचायत का नाम:		
क्रम संख्या	समूह सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	पशुपालन की श्रेणी	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (जीपी समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						

व्यक्तिगत पशुपालन के लिए प्रशिक्षक के नोट:

पशुपालन में पशु धन जैसे मुर्गी, सूअर, बकरी, गाय आदि शामिल होंगे। इस श्रेणी में SHG सदस्यों की माँगें शामिल होंगी जो पशुपालन में रुचि रखते हैं।

- सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
- SHG सदस्य का नाम** (प्राथमिकता के क्रम में) कॉलम : कृपया ऐसे SHG सदस्यों के नाम भरें, जो व्यक्तिगत पशुपालन में रुचि रखते हैं। कृपया नाम को प्राथमिकता के क्रम में लिखें।
- घर के मुखिया का नाम** कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/ पिता/ पति/ का नाम भरें।
- वार्ड नाम और संख्या** कॉलम में : कृपया समूह सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
- पशुपालन की श्रेणी** कॉलम में : कृपया उन मवेशियों का नाम लिखें जिसकी माँग SHG के सदस्य करते हैं। उदाहरण के लिए, बकरी, मवेशी, मुर्गी, सूअर, आदि।

6. **मदद के प्रकार कॉलम में** : कृपया मदद के प्रकार का उल्लेख करें, जैसे मवेशी, पशु / मुर्गी शेड, चारा, अनाज पर सब्सिडी, वित्तीय ऋण या विशेष प्रशिक्षण। उन्हें एक से अधिक तरह के मदद की ज़रूरत हो सकती है। यदि सदस्य मवेशी / सूअर / आदि की मांग करते हैं, तो इस कॉलम में मांगे गए जानवरों की संख्या का भी उल्लेख करें। उदाहरण के लिए, यदि जानवर की श्रेणी में, कोई सदस्य बकरी पालन की मांग करता है, तो मदद के प्रकार के तहत कितनी बकरी की माँग करते हैं उसकी संख्या लिखें, जैसे, "बकरी -3" (संदर्भ टेबल 2 देखें)।

7. **प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में** : यह कॉलम जीपी स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। जीपी स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए एक रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। **सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटासंग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए**

2.2 पशुपालन- सामूहिक

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्राम संगठन का नाम:		ग्राम पंचायत का नाम:		
क्रम संख्या	समूह में SHG सदस्यों की संख्या	समूह के सदस्यों के नाम और क्रमशः सदस्यों के समूह का नाम	समूह के किसी एक सदस्य के वार्ड का नाम और संख्या	पशुपालन की श्रेणी	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						

सामूहिक पशुपालन के लिए प्रशिक्षक का नोट :

SHG के ऐसे सदस्यों के लिए जो एक समूह के रूप में सूक्ष्म उद्योग शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए एक समूह में SHG के तीन या उससे ज्यादा सदस्य हो सकते हैं।

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में दर्ज किया जाए जिसमें कमजोर वर्ग/ गरीबों में अति गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले ।
2. **समूह सदस्य का नाम कॉलम में (प्राथमिकता के क्रम में):** कृपया किसी एक खास समूह में SHG सदस्यों की संख्या भरें, जो एक समूह सूक्ष्म उद्यम (ME) शुरू करना चाहते हैं। कृपया नाम को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
3. **समूह के सदस्यों के नाम और क्रमशः उनके समूह का नाम कॉलम में :** कृपया समूह में SHG के सभी सदस्यों के नाम लिखें । उदाहरण के लिए : अगर 3 SHG सदस्य खेती के लिए समूह बनाना चाहते हैं तो उन तीनों सदस्यों का नाम इस कॉलम में अवश्य लिखें और उनके नाम के आगे ब्रैकेट में उनके SHG का नाम लिखें ।
4. समूह के किसी SHG सदस्य का **वार्ड नाम और संख्या** कॉलम में : कृपया समूह सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
5. **पशुपालन की श्रेणी कॉलम में :** SHG सदस्य किस तरह के मवेशियों की माँग करते हैं उसे दर्ज करें। उदाहरण के लिए, बकरी, मवेशी, मुर्गी, सूअर आदि।
6. **मदद के प्रकार कॉलम में :** अपनी किसी खास माँग के लिए SHG सदस्य को किस तरह की मदद चाहिए कृपया इसका उल्लेख करें। उन्हें एक से अधिक मदद की ज़रूरत हो सकती है। जैसे मवेशी, पशु / मुर्गी शेड, चारा, अनाज पर सब्सिडी, वित्तीय ऋण या विशेष प्रशिक्षण। (संदर्भ टेबल 3 देखें)।
7. **प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में :** यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। जीपी स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। **सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटासंग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।**

3. सूक्ष्म उद्यम

SHG के सदस्य व्यक्तिगत रूप से या दो या अधिक के समूहों में ME शुरू कर सकते हैं। ME को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

टेबल 3: सूक्ष्म उद्यम के लिए मदद के प्रकारों की सूची :

क्रम संख्या	मदद के प्रकार
1	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए किराए में सब्सिडी
2	आकस्मिक खर्च
3	प्रौद्योगिकी, कौशल, बाजार पहुंच आदि में उद्यमियों की क्षमता निर्माण.
4	नए उद्यम विकासके लिए बीज पूंजी और मौजूदा उद्यम के लिए मदद के प्रकार
5	बाजार तक पहुँच और विपणन मदद
6	उत्पादों की डिजाइनिंग और पैकेजिंग
7	व्यवसाय विकास कौशल पर प्रशिक्षण
8	विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए उपकरण / उपकरण जैसे खाद्य प्रसंस्करण, मसाले सुखाने और पीसने, हथकरघा, हस्तकला, एनटीएफ उत्पादन से उत्पाद बनाना, पैकेजिंग के लिए उपकरण।
9	काम शेड
10	ड्राइइंग प्लेटफार्म
11	भंडारण की इकाइयाँ
12	उत्पाद और सेवाओं का प्रमाणन, प्रचार और ब्रांडिंग समर्थन, बाजार संपर्क, मेलों का आयोजन।

13	विशिष्ट प्रकार की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण (हथकरघा, हस्तशिल्प, सेरीकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण, विभिन्न सेवाएं आदि)

ध्यान दें कि ऊपर जिनकी चर्चा की गई है वे सब सामान्य प्रकार के हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में आजीविका की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध मदद के प्रकारों की राज्य-विशिष्ट सूची भी हो सकती है। राज्य अपने लिए राज्य-विशिष्ट सूची तैयार कर सकते हैं और इसे प्रतिभागियों / सुगमकर्ताओं / संवर्ग के बीच प्रसारित कर सकते हैं जो क्षेत्र में नियोजन अभ्यास की सुविधा प्रदान करेंगे।

सूक्ष्म उद्यम से संबंधित मांगों पर ग्राम पंचायत / स्थानीय निकायों की निधियों के साथ-साथ नीचे उल्लिखित विभिन्न विभागों की उपलब्ध योजनाओं के तहत गौर किया जा सकता है:

क्रम संख्या	विभाग का नाम
1.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
2	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

सूक्ष्म उद्यमों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

टेबल 4: सूक्ष्म उद्यम को श्रेणीबद्ध करना

उत्पादन	व्यापार	सेवाएं
1. बुनाई	1. गारमेंट स्टोर	1. ब्यूटी पार्लर
2. पापड़ बनाना	2. जनरल स्टोर	2. केटरिंग सर्विसेज़
3. अगरबत्ती बनाना	3. बेकरी	3. साउन्ड एण्ड लाइट रेन्टल
4. आचार बनाना	4. फार्मसी	4. रेस्तराँ
5. फूल और गुलदस्ता बनाना	5. पूजा की वस्तुओं की दुकान	5. लॉन्ड्री सर्विस
6. पेपर प्लेट बनाना	6. बिस्तर और गद्दे की दुकान	6. ऑटो रिक्शा /वैन्स
7. चुचूड़ी बनाना	7. किताब की दुकान	7. बाइक/ कार रिपेयर
8. कॉइर रस्सी बनाना	8. ईंट और टाइल्स के कारोबार	8. बढ़ई
9. हथकरघा और हशतशिल्प	की दुकान	9. मोबाईल मरम्मत
10. मिट्टी के बर्तन बनाना	9. डेयरी उत्पाद	10. इलेक्ट्रानिक्स रिपेयर
11. चावल मिल	10. बिजली की दुकान	11. ताज़ा फल का जूस /अन्य
12. रेशम कीट पालन	11. मछली का व्यापार	पेय
13. हलवाई का काम/मिठाई बनाना	12. मूँगफली का कारोबार	12. चित्रकारी
14. नोटबुक बनाना	13. आभूषण	13. प्रिंटिंग प्रेस
15. सब्जियों की खेती	14. मशरूम का कारोबार	14. ट्यूशन
16. थैलियाँ बनाना	15. जूते के कारोबार की दुकान	15. सलून
17. लकड़ी या बांस के फर्नीचर	16. सब्जी/फल का कारोबार	16. फोटो स्टूडियो
बनाना	17. बर्तन का कारोबार	17. टैक्सी सर्विस
18. चटाई बनाना	18. रद्दी का कारोबार	18. टेलरिंग
19. साबुन और डिटर्जेंट बनाना	19. हार्डवेयर स्टोर	19. वैल्विंग
20. वाटर प्यूरीफायर प्लांट	20. शीतल पेय की दुकान	20. घड़ी मरम्मत

3.1 व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम

स्वयं सहायता समूह का नाम :		ग्राम संगठन का नाम:			ग्राम पंचायत का नाम:	
क्रम संख्या	SHG सदस्य का नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम	ME का प्रकार	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)
1						
2						

व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों (ME) के लिए प्रशिक्षक का नोट :

‘SHG सदस्य का नाम’ कॉलम में : कृपया SHG सदस्यों का नाम भरें जो व्यक्तिगत ME शुरू करने में रुचि रखते हैं या जिन्हें मौजूदा MEs के लिए मदद की आवश्यकता है।

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में दर्ज किया जाए जिसमें सबसे कमजोर और गरीबों में सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
2. SHG सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में) कॉलम में : कृपया इसमें उन SHG सदस्यों के नाम भरें, जो व्यक्तिगत ME शुरू करना चाहते हैं या वर्तमान ME में मदद चाहते हैं। कृपया नाम को प्राथमिकता के क्रम में लिखें।
3. घर के मुखिया का नाम कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/ पिता / पति का नाम भरें।
4. वार्ड नाम और संख्या कॉलम में : कृपया SHG सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
5. समूह का नाम कॉलम में : कृपया सदस्य के SHG का नाम लिखें।
6. ME के प्रकार कॉलम में: इस कॉलम में, कृपया सूक्ष्म उद्यम का प्रकार दर्ज करें जैसे किराना की दुकान, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती इकाई, अचार बनाने की इकाई, जूते की दुकान, नाई की दुकान आदि।
7. किस प्रकार की मदद कॉलम में : SHG के सदस्य को विशेष मांग के लिए किस प्रकार की मदद चाहिए, इसका उल्लेख करें। एक से अधिक मदद की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, वित्तीय ऋण, विशेष कौशल प्रशिक्षण, बाजार संवर्धन के लिए समर्थन आदि (संदर्भ टेबल 3)
8. प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटा संग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

3.2 समूह सूक्ष्म उद्यम

स्वयं सहायता समूह का नाम :							ग्राम संगठन का नाम :							ग्राम पंचायत का नाम :						
क्रम संख्या	समूह में SHG सदस्यों की संख्या	समूह के SHG सदस्यों के नाम और क्रमशः उनके SHG के नाम	समूह के किसी एक SHG सदस्य की वार्ड संख्या और उसका नाम	ME का प्रकार	आवश्यक मदद के प्रकार	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)														
1																				
2																				

SHG मुखिया की मुहर और हस्ताक्षर

सामूहिक अति लघु उद्योग के लिए प्रशिक्षक हेतु नोट :

SHG के ऐसे सदस्यों के लिए जो सामूहिक रूप से सूक्ष्म उद्यम शुरू करना चाहते हैं। एक समूह में तीन या अधिक SHG सदस्य शामिल हो सकते हैं:

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में दर्ज किया जाए जिसमें सबसे कमजोर वर्ग और अति गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
2. **एक समूह में SHG के सदस्यों की संख्या कॉलम में :** कृपया एक विशेष समूह में SHG सदस्यों की संख्या लिखें जो समूह में शुरू करने के लिए तैयार हैं।
3. **समूह के SHG सदस्यों के नाम और क्रमशः इन सदस्यों के SHG के नाम कॉलम में:** कृपया समूह के सभी SHG सदस्यों के नाम लिखें। उदाहरण के लिए : अगर 3 समूह के सदस्य सामूहिक खेती करने के लिए समूह बनाना चाहते हैं तो उन तीनों सदस्यों का नाम लिखें और उनके नाम के आगे कोष्ठक में उनके SHG का नाम लिखें।
4. **समूह के किसी एक SHG सदस्य के वार्ड का नाम और उसकी संख्या कॉलम में :** कृपया SHG सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और उसकी संख्या भरें।
5. **सूक्ष्म उद्यम के प्रकार कॉलम में :** इस कॉलम में, कृपया एमई (उत्पादन / व्यापार / सेवा) का प्रकार जैसे किराने की दुकान, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती इकाई, अचार बनाने की इकाई, जूते की दुकान, नाई की दुकान आदि लिखें जिसे SHG सदस्य शुरू करने का इच्छुक है। (टेबल 4 देखें)।
6. **किस प्रकार की मदद चाहिए कॉलम में :** अपने किसी खास माँग के लिए SHG सदस्य को किस प्रकार की मदद चाहिए, इसका उल्लेख करें। एक से अधिक मदद की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, वित्तीय ऋण, विशेष कौशल प्रशिक्षण, बाजार संवर्धन के लिए समर्थन आदि (संदर्भ टेबल 3)
7. **प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में :** यह कॉलम जीपी स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। जीपी स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। **सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटा संग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।**

ग्राम संगठन स्तरीय आंकड़ों का सारांश शीट एवं आंकड़ों के संकलन का प्रारूप
स्वयं सहायता समूह से प्राप्त आंकड़ों को ग्राम संगठन स्तर पर समेकित
करना और इनका सारांश शीट तैयार करना

अ. हकदारी योजना

ब. आजीविका योजना

ग्राम संगठन स्तर का आंकड़ा ग्राम संगठनों से दो योजनाओं के लिए एकत्र किया
जाता है

स. पब्लिक गुड्स, सर्वसिस व रिसोर्स डिवेलपमेंट योजना

द. सामाजिक विकास योजना

ग्राम संगठन का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

स्वयं सहायता समूहों की संख्या:

SHG मुखिया की मुहर और हस्ताक्षर

SHG की वर्तमान स्थिति और आनेवाले वर्ष की योजना

वर्तमान स्थिति

क्रम संख्या	स्थिति	संख्या
1	VO /PLF अधिकार –क्षेत्र में आनेवाले कुल परिवारों की संख्या	
2	SHG के अंतर्गत आने वाले घरों की संख्या	
3	कुल मौजूदा SHG की संख्या	
4	सचल राशि (RF) पाने वाले SHG की कुल संख्या	
5	बैंक ऋण पानेवाले SHG की कुल संख्या	

आने वाले वर्ष की योजना

क्रम संख्या	योजना	संख्या
1	SHG के अंतर्गत लिए जानेवाले घरों की संख्या	
2	SHG की संख्या जिन्हें सचल राशि (RF) दी जाएगी	
3	SHG की संख्या जिन्हें बैंक ऋण दिए जाएँगे	

वर्तमान स्थिति की जानकारी भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट हेतु :

1. **VO /PLF के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल घरों की संख्या** की पंक्ति में : इस पंक्ति में कृपया VO /PLF के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल घरों की संख्या भरे
2. **SHG के अंतर्गत आने वाले घरों की संख्या** की पंक्ति में : इस पंक्ति में कृपया उन घरों की संख्या लिखें जो SHG के अधीन हैं
3. **कुल मौजूदा SHG की संख्या** की पंक्ति में: इस पंक्ति में कृपया ग्राम संगठन के अंतर्गत मौजूद SHG की कुल संख्या भरें
4. **सचल राशि (RF) पाने वाले SHG की कुल संख्या** की पंक्ति में : इस पंक्ति में कृपया सचल राशि (RF) प्राप्त करनेवाले समूहों की कुल संख्या लिखें
5. **बैंक ऋण पाने वाले SHG की कुल संख्या** की पंक्ति में : इस पंक्ति में कृपया बैंक से ऋण प्राप्त करनेवाले SHG की कुल संख्या लिखें

आने वाले वर्ष की योजना भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट :

1. **SHG के अंतर्गत लाए जाने वाले परिवारों की संख्या** की पंक्ति में: इस पंक्ति में कृपया उन घरों की कुल संख्या लिखें जिन्हें SHG के अधीन लाया जाएगा
2. **सचल राशि (RF) दिए जाने वाले SHG की संख्या** की पंक्ति में: इस पंक्ति में कृपया उन SHG की संख्या लिखें जिन्हें सचल राशि (RF) दिया जाएगा
3. **बैंक ऋण दिए जानेवाले SHG की संख्या** की पंक्ति में: इस पंक्ति में कृपया उन SHG की संख्या लिखें जिन्हें आने वाले वर्ष में बैंक से ऋण प्राप्त हो सकेगा

हकदारी योजना के लिए ग्राम संगठन के सारांश शीट को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:

1. प्रत्येक योजना के स्वयं सहायता समूह स्तर के आंकड़े में एक आमुख पृष्ठ होगा जो संबंधित ग्राम संगठन का सारांश शीट होगा।
2. **स्वयं सहायता समूह के नाम कॉलम में** : कृपया SHG स्तर के डाटाशीट के अनुसार लाभार्थी जिस स्वयं सहायता समूह का है उसका नाम भरें।
3. **लाभार्थी की संख्या कॉलम में** : प्रारूप में उल्लिखित योजना के लिए किसी विशेष स्वयं सहायता समूह से कुल लाभार्थी की संख्या को भरें।
4. **कार्य की संख्या कॉलम में** : कृपया प्रत्येक SHG से व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों के माँग की संख्या क्या रही उसे भरें (यह केवल मनरेगा के तहत व्यक्तिगत/सामुदायिक कार्य की माँग के लिए मान्य है)।

हक़दारी योजना

1. मनरेगा

1.1 नया जॉब कार्ड

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
कुल लाभार्थियों की संख्या		

स्वयं सहायता समूह के अधीन नहीं आने वाले लाभार्थियों के लिए नया जॉब कार्ड (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/ अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

1.2 मनरेगा में कार्य की मांग

1.2.1 मनरेगा -व्यक्तिगत कार्य

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	कार्य की संख्या
1		
2		
कुल संख्या		

1.2.2 मनरेगा -सामुदायिक कार्य

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	कार्य की संख्या
1		
2		
कुल संख्या		

2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम -NSAP (पेंशन)

2.1 वृद्धावस्था पेंशन

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

उन लाभार्थियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन जो SHG के तहत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

2.2 विधवा पेंशन

क्रम संख्या	SHG का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

विधवा पेंशन उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/ गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

2.3 विकलांगता पेंशन

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

विकलांगता पेंशन उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते(ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमज़ोर वर्ग/ग़रीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

3.स्वच्छ भारत मिशन

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

स्वच्छ भारत मिशन उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित गरीब / ग़रीबों में गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

4. स्वास्थ्य कार्ड

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

स्वास्थ्य कार्ड उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

5. राशन कार्ड

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

राशन कार्ड उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग / गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

6. उज्जवला गैस (LPG)

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

उज्जवला गैस उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

7. प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना- सौभाग्य

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना - सौभाग्य उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

8. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड का नाम एवं संख्या
1			
2			

9. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के तहत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड का नाम एवं संख्या
1			
2			

10. प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY - G)

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों के नाम
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के तहत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के तहत नहीं आते उनका नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड का नाम एवं संख्या
1			
2			

11. कोई अन्य योजना (योजना का नाम दर्ज करें)

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	लाभार्थियों के नाम
1		
2		
लाभार्थियों की कुल संख्या		

कोई अन्य योजना उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के तहत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	जो लाभार्थी SHG के तहत नहीं आते उनका नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड संख्या और नाम
1			
2			

C. आजीविका योजना

1.1 खेती – व्यक्तिगत खेती

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	SHG सदस्यों की संख्या जो व्यक्तिगत खेती में दिलचस्पी रखते हैं	व्यक्तिगत जमीन पर खेती करने वाले SHG सदस्यों की संख्या	पट्टे की ज़मीन पर खेती करने वाले SHG सदस्यों की संख्या
1				
2				
कुल संख्या				

व्यक्तिगत खेती हेतु प्रशिक्षक के लिए नोट:

इस टेबल में केवल व्यक्तिगत खेती का समेकित विवरण होगा

1. **SHG का नाम** कॉलम में : कृपया उन SHG का नाम लिखें जिनके विवरण भरे जाने हैं।
2. **व्यक्तिगत खेती में दिलचस्पी रखने वाले SHG सदस्यों की संख्या** कॉलम में: कृपया संबंधित SHG के लिए व्यक्तिगत खेती में दिलचस्पी रखनेवाले SHG के कुल सदस्यों की संख्या दर्ज करें।
3. **अपनी ही ज़मीन पर खेती करनेवाले SHG सदस्यों की संख्या** कॉलम में : कृपया संबंधित SHG के लिए अपनी ही ज़मीन पर खेती करनेवाले SHG सदस्यों की कुल संख्या दर्ज करें।
4. **पट्टे की ज़मीन पर खेती करने वाले SHG सदस्यों की संख्या** का कॉलम: कृपया संबंधित SHG सदस्यों के लिए पट्टे की ज़मीन पर खेती करनेवाले SHG सदस्यों की कुल संख्या लिखें।

1.2 खेती- सामूहिक खेती

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	सामूहिक खेती में दिलचस्पी रखने वाले समूहों की संख्या	खुद की जमीन पर खेती करने वाले समूह की संख्या	पट्टे की ज़मीन पर खेती करने वाले समूह की संख्या
1				
2				
कुल संख्या				

सामूहिक खेती हेतु प्रशिक्षक के लिए नोट:

इस टेबल में केवल सामूहिक खेती का समेकित विवरण होगा

1. **SHG का नाम कॉलम में** : कृपया उन SHG का नाम लिखें जिसका ब्योरा भरा जाना है ।
2. **सामूहिक खेती के इच्छुक SHG सदस्यों की संख्या कॉलम में** : संबंधित SHG के लिए सामूहिक खेती में रुचि रखने वाले SHG सदस्यों की कुल संख्या लिखें।
3. **SHG की संख्या कॉलम में** : कृपया एक SHG के भीतर सामूहिक खेती में रुचि रखने वाले लोगों के समूहों की संख्या लिखें ।
4. **व्यक्तिगत ज़मीन पर खेती करने वाले समूहों की संख्या कॉलम में** : कृपया संबंधित SHG के लिए स्वयं की जमीन पर खेती करने वाले समूहों की कुल संख्या लिखें।
5. **पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले SHG सदस्यों की संख्या कॉलम में** : कृपया संबंधित SHG के लिए पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले समूहों की कुल संख्या लिखें ।

1.3 खेती - व्यक्तिगत और सामूहिक खेती के लिए आवश्यक मदद

क्रम संख्या	मदद के प्रकार	कुल मदद के प्रकार
1		
2		
कुल संख्या		

खेती के लिए विभिन्न प्रकार के मदद हेतु प्रशिक्षक के नोट

यह टेबल प्रत्येक प्रकार के मदद के लिए लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ समूह सदस्यों को विभिन्न प्रकार के समर्थन के लिए ज़रूरी समेकित विवरण देगी।

1. **मदद के प्रकार** कॉलम में : SHG ने जिस तरह की मदद चाही है उन विभिन्न तरह के मदद को दर्ज करें। कृपया स्वयं मदद के प्रकार समूहों से आए विभिन्न प्रकार की मदद आवश्यकताओं को लिखें। प्रत्येक तरह की मदद को अलग पंक्ति में लिखा जाए।

2. **ज़रूरी मदद की कुल संख्या** कॉलम में : व्यक्तिगत और सामूहिक पशुपालन के लिए ज़रूरी कुल मदद की संख्या इसमें दर्ज की जाए।

SHG के दायरे के बाहर के लाभार्थियों के लिए खेती (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमज़ोर वर्ग/ग़रीबों से भी अति गरीब)

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड का नाम एवं संख्या	व्यक्तिगत/ सामूहिक	स्वयं की ज़मीन पे खेती/ पट्टे की ज़मीन पे खेती	किस प्रकार के मदद चाहते हैं
1						
2						

2.1 पशुपालन - व्यक्तिगत और सामूहिक

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	व्यक्तिगत पशु पालन के लिए माँग करनेवाले व्यक्तियों की संख्या	सामूहिक पशु पालन की माँग करने वाले समूहों की संख्या
1			
2			
	कुल संख्या		

व्यक्तिगत और सामूहिक : पशुपालन के लिए प्रशिक्षक का नोट -:

1. SHG का नाम कॉलम में : कृपया उस SHG का नाम लिखें जिसका विवरण भरा जाना है।
2. व्यक्तिगत पशुपालन की माँग करनेवाले लोगों की संख्या कॉलम में : कृपया प्रत्येक SHG समूह से पशुपालन की माँग करनेवाले व्यक्तियों की कुल संख्या लिखें।
3. सामूहिक पशुपालन की माँग करनेवाले समूहों की संख्या कॉलम में : प्रत्येक SHG में पशुपालन की माँग जितनी संख्या में समूहों ने की है उनकी कुल संख्या लिखें।

2.1 पशुपालन - व्यक्तिगत व सामूहिक के लिए आवश्यक मदद

क्रम संख्या	SHG के नाम	मदद के प्रकार	कुल मदद के प्रकार
1			
2			
	कुल संख्या		

पशु पालन -व्यक्तिगत और सामूहिक के लिए विभिन्न प्रकार के मदद हेतु प्रशिक्षक के नोट :

यह टेबल प्रत्येक प्रकार के मदद के लिए लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ समूह सदस्यों को आवश्यक विभिन्न प्रकार के मदद के लिए समेकित विवरण देगी ।

1. **किस प्रकार का मदद चाहते हैं** कॉलम में : SHG ने जिस तरह की मदद की माँग की है उन विभिन्न तरह के मददका विवरण लिखें। प्रत्येक प्रकार की मदद को अलग-अलग पंक्ति में लिखा जाएगा।

2. **आवश्यक मदद की कुल संख्या** कॉलम में : यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के पशुपालन में आवश्यक मदद का कुल योग होना चाहिए।

SHG के बाहर के लाभार्थियों के लिए पशुपालन (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित गरीब/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड का नाम और संख्या	व्यक्तिगत/ सामूहिक	पशुपालन की श्रेणी	आवश्यक मदद के प्रकार
1						
2						

3.1 सूक्ष्म उद्यम - व्यक्तिगत व सामूहिक

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम के लिए जितनी संख्या में लोगों ने मांग की	सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों की जितनी संख्या में समूहों ने मांग की अ
1			
2			
	कुल संख्या		

व्यक्तिगत और सामूहिक : सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रशिक्षक का नोट :-

1. SHG का नाम कॉलम में : कृपया उस SHG का नाम लिखें जिसका विवरण भरा जाना है।
2. व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम की मांग करनेवाले लोगों की संख्या कॉलम में : कृपया प्रत्येक SHG समूह से सूक्ष्म उद्यम की मांग करनेवाले व्यक्तियों की कुल संख्या लिखें।
3. सामूहिक सूक्ष्म उद्यम की मांग करनेवाले समूहों की संख्या कॉलम में : प्रत्येक SHG में सूक्ष्म उद्यम की मांग जितनी संख्या में समूहों ने की है उनकी कुल संख्या लिखें।

3.3. सूक्ष्म उद्यम - -व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों सूक्ष्म उद्यमों के लिए आवश्यक मदद

क्रम संख्या	मदद के प्रकार	आवश्यक मदद की कुल संख्या
1		
2		
	कुल संख्या	

सूक्ष्म उद्यमों के लिए आवश्यक मदद के लिए प्रशिक्षक के नोट :

यह टेबल प्रत्येक प्रकार के मदद के लिए लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ समूह सदस्यों को आवश्यक विभिन्न प्रकार के मदद के लिए समेकित विवरण देगा ।

1. **मदद के प्रकार** कॉलम में : SHG की ओर से भिन्न तरह के मदद की जो ज़रूरतें आई हैं उसको लिखें। प्रत्येक प्रकार की मदद को अलग पंक्ति में लिखा जाएगा।
2. **आवश्यक मदद की कुल संख्या** कॉलम में : यह व्यक्तिगत और समूह पशुपालन दोनों में आवश्यक मदद का कुल योग होना चाहिए।

SHG के बाहर के लाभार्थियों के लिए सूक्ष्म उद्यम (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित किए गए कमज़ोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

क्रम संख्या	लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)	घर के मुखिया का नाम	वार्ड का नाम एवं संख्या	व्यक्तिगत/सामूहिक	सूक्ष्म उद्यम के प्रकार	आवश्यक मदद के प्रकार
1						
2						

D. सार्वजनिक वस्तु, सेवाएँ और संसाधन योजना

सार्वजनिक वस्तु एवं सेवाओं की माँग (यह सूची सुझाव के तौर पर है। अधिक संदर्भ आधारित स्थानीय माँग को भी शामिल किया जा सकता है)			
क्रम संख्या	माँग का विवरण	क्रम संख्या	माँग का विवरण
1	सड़क	19	ग्राम संगठन कार्यालय
2	आंगनबाड़ी केंद्र	20	कूड़ेदान
3	सामुदायिक हॉल	21	बुनाई केंद्र
4	जल निकासी	22	पेयजल की सुविधा
5	पंचायत भवन	23	पुस्तकालय
6	बाजार/हाट बाजार	24	कल्वर्ट
7	स्ट्रीट लाइट	25	चारदीवारी
8	सामुदायिक शौचालय	26	वेटिंग शेड
9	स्कूलों में शिक्षक	27	मध्याह्न भोजन के प्रावधान
10	डीवर्मिंग	28	स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ नर्स
11	टीकाकरण के लिए प्रावधान	29	मच्छरदानी
12	हाथ धोने की सुविधाएं	30	स्कूलों में यूनिफॉर्म
13	अनाज भंडारण की सुविधाएं/गोदाम	31	सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को स्तनपान कराने के लिए कमरे
14	अनाज सुखाने का मचान	32	उत्पादक समूहों के लिए सुविधा/सामान्य केंद्र
15	हथकरघा लघु इकाइयां	33	स्कूल फर्नीचर (डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड)
16	महिला पुलिस अधिकारी	34	उप केंद्रों के लिए उपकरण (दवाएं, सीरिंज, बीपी उपकरण)
17	सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन	35	सफाई कर्मचारी
18	भट्टी/क्रीमेटोरियम	36	सांस्कृतिक केंद्र एवं क्लब

संसाधन विकास की मांग

(यह सूची सुझाव के तौर पर है। अधिक संदर्भ आधारित स्थानीय माँग को भी शामिल किया जा सकता है)

क्रम संख्या	मांग का विवरण	क्रम संख्या	मांग का विवरण
1	तालाब	9	कृषि बंध
2	कुआँ	10	रिंग वेल
3	नदी के बंध	11	तटबंध
4	वर्षा जल संचयन	12	चेक डैम
5	ट्यूबवेल	13	भूमि विकास
6	पौध रोपण (वृक्ष, आम, बांस, सुपारी आदि)	14	बोरवेल
7	एलिफेंट ट्रेंच/हाथी खाई	15	वन बाड़
8	औषधीय पौधों की नर्सरी	16	झीलों का प्रबंधन

1. सार्वजनिक वस्तु एवं सेवाओं की गणना के लिए प्रारूप

ग्राम संगठन का नाम :		समूह की संख्या :		ग्राम पंचायत का नाम :	
क्रम संख्या	मांग का विवरण	स्थान	नया/मरम्मत	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)	
1					
2					
3					
4					
5					

2. संसाधन विकास की मांग की गणना के लिए प्रारूप

ग्राम संगठन का नाम :		समूह की संख्या :		ग्राम पंचायत का नाम :	
क्रम संख्या	मांग का विवरण	स्थान	नया/मरम्मत	प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है)	
1					
2					
3					
4					
5					

सार्वजनिक वस्तु, सेवाएँ और संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षक का नोट :

1. **मांग का विवरण कॉलम में:** माँग के विवरणों में बुनियादी सुविधाएँ या संसाधनों के विकास की माँग शामिल होनी चाहिए। उदाहरण- पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक कुआँ, , टीकाकरण की व्यवस्था, हैंड वॉश की सुविधा आदि।
2. **स्थान के कॉलम में :** बुनियादी सुविधा या संसाधन विकास के स्थान में वार्ड का नाम और संख्या भी शामिल होनी चाहिए। उदाहरण : वार्ड संख्या और नाम 6, किशनगांव, रीता के घर से सुमन के घर तक।
3. **नए/नवीनीकरण कॉलम में :** मांग की प्रकृति बतायी जानी चाहिए । यदि उक्त मांग नई है तो प्रविष्टि नयी होगी। यदि उक्त मांग मरम्मत के लिए है तो प्रविष्टि मरम्मत की होगी।
4. **प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में :** यह कॉलम केवल ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान प्राथमिकता को प्रतिबिंबित करने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा । सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटासंग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

D. सामाजिक विकास योजना (SDP)

विषय: योजना के अंतर्गत उल्लिखित सामाजिक मुद्दे

1. भूमिका
2. योजना का उद्देश्य
3. चिन्हित किये गए मुद्दे के बारे में आंकड़े
4. हितग्राहियों की भूमिका
5. समाजिक मुद्दों के समाधान के लिए गतिविधियाँ
6. अपेक्षित बजट
7. आगे की कार्यवाही /निगरानी

क्रम संख्या	सामाजिक मुद्दा	गतिविधियाँ
1	शराब की लत	<ul style="list-style-type: none">● अवैध शराब की दुकानों को बंद करना● आजीविका के वैकल्पिक अवसर प्रदान करना● थाने में शिकायत दर्ज करना● नशा मुक्ति केंद्रों के लिए रेफरल सेवाएं
2	नशीली दवाओं के दुरुपयोग	<ul style="list-style-type: none">● परामर्श और चिकित्सा सेवाएं● नशा मुक्ति केंद्रों के लिए रेफरल सेवाएं।● सामुदायिक सतर्कता टीमों का गठन
3	वयस्क साक्षरता	<ul style="list-style-type: none">● यदि कोई है तो ब्लॉक/जिला वयस्क साक्षरता कार्यक्रम को जोड़ना

		<ul style="list-style-type: none"> ● वयस्क साक्षरता कक्षाओं की शुरुआत ● साक्षरता बढ़ाने के लिए पर्यावरण निर्माण जैसे सार्वजनिक स्थानों में कहावत के साथ पोस्टर चिपकाना ● स्थानीय स्वशासन संस्थानों के माध्यम से वयस्क साक्षरता कक्षाओं के लिए संसाधन जुटाना ● खुले स्कूलों (Open School) में प्रवेश के लिए राज्य साक्षरता मिशन के साथ संबंध स्थापित करना
4	स्कूल ड्रॉपआउट	<ul style="list-style-type: none"> ● स्कूल प्रबंधन समिति की सक्रियता/पुनरुद्धार ● स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से स्कूलों में फिर से नामांकन ● स्थानीय स्वशासन संस्थानों के माध्यम से स्कूल छोड़नेवालों के लिए संसाधन जुटाना ● स्कूलों में लड़कियों की शिक्षकों, शौचालयों जैसी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना ● मिड-डे मील योजनाओं जैसी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ●
5	कुपोषण	<ul style="list-style-type: none"> ● आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में न्यूट्री-गार्डन/किचन गार्डन को प्रोत्साहित करना ● स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच ● आंगनबाड़ियों में बच्चों के वजन और ऊंचाई की नियमित निगरानी और गंभीर तीव्र कुपोषित, मध्यम तीव्र कुपोषित, गंभीर रूप से कम वजन वाले, मध्यम कम वजन वाली

		<p>श्रेणियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के बच्चों की विशिष्ट पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना</p> <ul style="list-style-type: none"> ● आंगनबाड़ियों में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, मातृ समिति जैसी विभिन्न समितियों के माध्यम से सामुदायिक निगरानी सुनिश्चित करना ● आंगनबाड़ियों में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन जैसी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ● नियमित अंतराल पर प्रतिरक्षण, डीवर्मिंग टैबलेट, आयरन, फोलिक गोलियों जैसी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
6	<p>महिलाओं के खिलाफ हिंसा (घरेलू हिंसा, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न आदि)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● जननी सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में मदद प्राप्त करने के लिए मदद केंद्रों/जेंडर संसाधन केंद्रों की स्थापना। ● महिलाओं के लिए असुरक्षित माने जानेवाले क्षेत्रों की ग्राम स्तरीय मैपिंग ● महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कक्षाओं का आयोजन ● एलएसजी स्तर पर कानूनी मदद प्रकोष्ठों की स्थापना निकटतम पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की मांग ● जेंडर के बारे में जानकारी देने के लिए कक्षाएं आयोजित करना ● हिंसा में बचे लोगों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना

		<ul style="list-style-type: none"> •
7	बाल विवाह	<ul style="list-style-type: none"> • समुदाय को संवेदनशील बनाना • पंचायत स्तर पर कानूनी मदद के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना • 18 साल की उम्र तक बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना
8	पर्यावरण सम्बन्धित मुद्दे	<ul style="list-style-type: none"> • पौधरोपण और सफाई अभियान चलाना • स्कूलों में पर्यावरण क्लबों को बढ़ावा देना • कपड़े के थैले के उपयोग के माध्यम से प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान शुरू करना • घरेलू स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन (Waste management) का अभ्यास • पंचायत स्तर पर अपशिष्ट निपटान (Waste management) और प्रबंधन सुविधाओं की शुरुआत • आपदा प्रबंधन के लिए सामुदायिक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों का गठन
9	दहेज़	<ul style="list-style-type: none"> • कानूनी जागरूकता कक्षाओं का आयोजन • एलएसजी स्तर पर कानूनी मदद के प्रकोष्ठों की स्थापना • थाने में शिकायत दर्ज कराना • समुदाय का संवेदीकरण • जननी सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में मदद प्राप्त करने के लिए सहायता केंद्रों/जेंडर संसाधन प्रकोष्ठ की स्थापना।

10	मानव तस्करी (बाल तस्करी सहित)	<ul style="list-style-type: none"> ● थाने में शिकायत दर्ज कराना ● कानूनी जागरूकता के लिए पुलिस स्टेशन के साथ गठजोड़ ● जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जीवित बचे लोगों के लिए एक लिंक स्थापित करना ● सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में मदद प्राप्त करने के लिए सहायता केंद्रों/जेंडर संसाधन प्रकोष्ठ की स्थापना।
11	<p>सामाजिक बहिष्करण (बेघर व्यक्ति, ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रवासी मजदूरों से संबंधित व्यक्ति, बंधुआ मजदूर, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह, सफाई कर्मी आदि)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● समुदाय का संवेदीकरण ● जरूरी खाद्यान्न, कपड़े आदि जैसी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था। ● उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों सहित बुनियादी हकदारियों तक पहुंचने में मदद करना । ● मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों के साथ जोड़ना ।

सामाजिक विकास के लिए प्रशिक्षक का नोट

योजना प्रारूप

भूमिका

ग्राम पंचायत/गाँव में चिह्नित किये गए मुद्दों को प्रस्तुत करना, ग्राम पंचायत व गाँव के नाम का वर्णन अनिवार्य है। गाँव में परिवार व कुल स्वयं सहायता समूहों की संख्या का यहाँ उल्लेख हो।

GP/VC/VDC/VA का नाम :

गाँव का नाम :

गाँव में कुल परिवारों की संख्या :

गाँवों में SHG की संख्या :

गाँव संगठन की संख्या :

चिह्नित किये गए मुद्दे के बारे में चर्चा का संक्षिप्त उल्लेख अनिवार्य है। मुद्दा क्या है और इसका समाधान क्यों अनिवार्य है इसका उल्लेख ज़रूरी है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना को तैयार करने की वजह क्या है। मुख्य वजह है चिह्नित मुद्दे का हल निकालना और दूसरा उद्देश्य है इस योजना को GPDP योजना में समाहित करना। उद्देश्य का प्रारूप योजना में तैयार किए गए हस्तक्षेप की डिज़ाइन के अनुरूप भी तैयार किया जा सकता है। चिह्नित किये गए मुद्दे को समाज व अधिकारियों के समक्ष रखना भी उद्देश्य हो सकता है।

चिह्नित किये गए मुद्दे से संबंधित आंकड़े

चिह्नित किये गए सामाजिक मुद्दों को उदाहरण व आँकड़ों के साथ पेश करना हमेशा ज़रूरी होता है। इससे किसी चिह्नित मुद्दों की तीव्रता को दिखाने में मदद मिलती है। अगर यह ऐसा मुद्दा है जिसे गुणवत्ता की दृष्टि से मापा जा सकता है—

उदाहरण के तौर पर बच्चों का स्कूल में पढ़ाई छोड़ देना/निरक्षर लोगों की संख्या/शराब के गैरकानूनी दुकान आदि। इन सभी आँकड़ों को योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

अगर ऐसी कोई घटना है जो चिह्नित सामाजिक मुद्दे का समर्थन कर सकता है तो उसे भी इस सत्र में शामिल कीजिए। इसे टेबल में किस तरह दिखाया जा सकता है इसका उदाहरण नीचे दिया गया है।

गाँव का नाम	संख्या
	*चिह्नित सामाजिक मुद्दों से प्रभावित मामलों और लोगों की संख्या दर्ज करें।

हितग्राहियों की ज़िम्मेदारी

इस सत्र में सभी लाभार्थियों के नाम व चिह्नित किये गए मुद्दों के समाधान में उनकी भूमिका की चर्चा होगी। SHG नेटवर्क, LSG, और संबंधित विभाग के लोग मुख्य हितग्राही होंगे और उनकी जिम्मेदारियाँ यहाँ दर्ज होनी चाहिए।

हितग्राहियों के नाम	हितग्राहियों की भूमिका
GPs/ VCs/VDCs/VAs	
SHG	
ग्राम संगठन	
संबंधित लाइन विभाग	

सामाजिक मुद्दे के समाधान हेतु गतिविधियाँ

इस सत्र में उन गतिविधियों की सूची रखी जा सकती है जो SHG ने मुद्दे के समाधान के लिए प्लान किया है। गतिविधियों की समय सीमा तय की जा सकती है। ग्राम संगठन उन गतिविधियों की भी चर्चा कर सकते हैं जो दूसरे हितग्राही भी आयोजित कर सकते हैं।

आयोजित गतिविधि	गतिविधि की ज़िम्मेदारी/गतिविधियों के आयोजक	गतिविधि की समय सीमा

अपेक्षित बजट (अगर इसकी ज़रूरत हो तो)

चूँकि यह कम बजट/ बिना लागात वाली योजना है, इसलिए इसमें बजट सभी योजना के लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ मुद्दों को हल करने में पैसे का खर्च नहीं है और इन्हें हितग्राहियों के उचित हस्तक्षेप से हल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सामाजिक मुद्दा ऐसा है जिसमें थोड़ा खर्च ज़रूरी है तो इस सत्र में इसकी चर्चा की जा सकती है। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए की अनुमानित बजट का जिक्र हो।

जिन सामानों की ज़रूरत है	प्रति इकाई लागत	ज़रूरी इकाई की संख्या	कुल खर्च
कुल बजट			

आगे की कार्यवाही / निगरानी

योजना को पेश करने के बाद ज़रूरी है कि ग्राम संगठन उसके आगे की कार्यवाही पर ध्यान दे और इनकी निगरानी करे। इसके लिए ग्राम संगठन योजना के अन्य सदस्य हितग्राहियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस सत्र में आगे की कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। इसमें हितग्राहियों के साथ मीटिंग, गतिविधियों का आयोजन, गतिविधियों को अच्छे से संचालन, स्थिति की जांच करना, आदि शामिल हैं।

ग्राम पंचायत स्तरीय डाटा शरांश शीट

ग्राम संगठन से एकत्रित हुए सभी चार आंशिक योजनाओं के आँकड़ों
का ग्राम पंचायत स्तर पर समेकन

A. हक़दारी योजना

B. आजीविका योजना

C. सार्वजनिक वस्तु, सेवाएँ एवं संसाधन विकास योजना

D. सामाजिक विकास योजना

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना 2021-2022

बुनियादी जानकारी	
ग्राम पंचायत	
ब्लॉक	
जिला	
राज्	
ग्राम संगठन की संख्या	
ग्राम पंचायत में वार्ड की संख्या	

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	योजना का नाम	पृष्ठ संख्या
1	मूल सूचना	
2	वर्तमान स्थिति और आनेवाले वर्ष की योजना	
3	ग्राम संगठन समरी शीट- हकदारी योजना	
4	SHG स्तरीय माँग हकदारी योजना	
5	ग्राम संगठन समरी शीट - आजीविका योजना	
6	SHG स्तरीय माँग - आजीविका योजना	
7	सार्वजनिक वस्तु, सेवाएं और संसाधन योजना	
8	सामाजिक विकास योजना	

वर्तमान स्थिति

क्रम संख्या	स्थिति	संख्या
1	पंचायत के अधिकारक्षेत्र में कुल घरों की संख्या	
2	SHG के तहत आनेवाले कुल घरों की संख्या	
3	SHG की कुल मौजूदा संख्या	
4	ऐसे SHG की कुल संख्या जिन्हें सचल राशि (RF) प्राप्त हुआ	
5	ऐसे SHG की कुल संख्या जिन्हें बैंक ऋण प्राप्त हुआ	

अगले वर्ष के लिए योजना

क्रम संख्या	योजना	संख्या
1	ऐसे घरों की कुल संख्या जिन्हें SHG से जोड़े जाने हैं	
2	ऐसे SHG की संख्या जिन्हें RF दिए जाने हैं	
3	ऐसे SHG की संख्या जो बैंक ऋण प्राप्त करेंगे	

A. हक़दारी योजना

क्रम संख्या	हक़दारी/पात्रता योजना का नाम	कुल लाभार्थियों की संख्या/ काम
1	मनरेगा जॉब कार्ड	
2	मनरेगा व्यक्तिगत कार्य (कार्य की संख्या लिखें)	
3	मनरेगा सामूहिक कार्य (कार्य की संख्या लिखें)	
4	वृद्धावस्था पेंशन	
5	विधवा पेंशन	
6	विकलांग पेंशन	
7	एसबीएम	
8	स्वास्थ्य कार्ड	
9	राशन कार्ड	
10	उज्ज्वला	
11	सौभाग्य	
12	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना	
13	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	
14	प्रधान मंत्री आवास योजना	

आजीविका योजना

क्रम संख्या	क्षेत्र	कुल व्यक्तिगत मांग की संख्या	कुल सामूहिक मांग की संख्या	कुल मदद की आवश्यकता
1	खेती			
2	पशुपालन			
3	सूक्ष्म उद्यम			

C. सार्वजनिक वस्तु, सेवाएँ और संसाधन विकास

(यह सूची एक सुझाव के तौर पर है। संदर्भ आधारित स्थानीय मांग को भी शामिल किया जा सकता है)

क्रम संख्या	क्षेत्र	कुल मांग की संख्या
1	सड़क	
2	आंगनवाडी केन्द्र	
3	सामुदायिक भवन	
4	जल निकासी	
5	पंचायत भवन	
6	बाजार/हाट बाजार	
7	स्ट्रीट लाइट	
8	सामुदायिक शौचालय	
9	स्कूलों में शिक्षक	
10	डीवर्मिंग	
11	ग्राम संगठन कार्यालय	
12	कूड़ेदान	
13	बुनाई केंद्र	
14	पीने के पानी की सुविधा	
15	पुस्तकालय	

16	पुलिया	
17	चारदीवारी	
18	वेटिंग शेड	
19	मध्याह्न भोजन के प्रावधान	
20	स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ नर्स	
21	मच्छरदानी	
22	तालाब	
23	हाथ धोने की सुविधाएं	
24	स्कूलों में यूनिफॉर्म	
25	अनाज भंडारण सुविधाएं/गोदाम	
26	अनाज सुखाने का मचान	
27	हथकरघालघु इकाइयां	
28	महिला पुलिस अधिकारी	
29	सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें	
30	क्रीमेटोरियम	
31	सार्वजनिक स्थानों पर बच्चे को स्तनपान कराने के कमरे (Breastfeeding)	
32	उत्पादक समूहों के लिए सुविधा/सामान्य केंद्र	
33	स्कूल फर्नीचर (डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड)	
34	उप केंद्र के लिए उपकरण - (दवाएं, सीरिंज, बीपी उपकरण)	
35	सफाई कर्मचारी	

36	सांस्कृतिक केंद्र और क्लब	
37	कुआँ	
38	नदी के बंध	
39	वर्षा जल संचयन	
40	चापाकल (हैंडपंप)	
41	पौधरोपण (वृक्ष, आम, बांस, सुपारी आदि)	
42	कृषि बंध	
43	रिंग कुआँ	
44	तटबंध	
45	चेक डैम	
46	भूमि विकास	
47	बोरवेल	
48	वन बाड़	
49	झीलों का प्रबंधन	
50	एलीफेंट ट्रेंच	
51	औषधीय पौधों की नर्सरी	

D. सामाजिक विकास

(यह सूची सुझाव के तौर पर है। अन्य संदर्भ आधारित स्थानीय मांग को भी शामिल किया जा सकता है)

विषय	प्रस्तुत की गई योजना की संख्या
शराब की लत	
नशीली दवाओं की आदत	
वयस्क साक्षरता	
स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चे	
कुपोषण	
महिलाओं के खिलाफ हिंसा (घरेलू हिंसा, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न आदि)	
बाल विवाह	
पर्यावरण संबंधित मुद्दे	
दहेज़	
मानव तस्करी (बाल तस्करी सहित)	
सामाजिक बहिष्करण (डायन कहकर प्रताड़ित किए गए, बेघर व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित व्यक्तियों आदि)	
पेश की गई सामाजिक विकास योजना की कुल संख्या	